



2025:CGHC:37426

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
रिट याचिका सेवा क्रमांक 2528/2020

सुरक्षित करने का दिनांक 22-7-2025

पारित करने का दिनांक 31-7-2025

- 1- हरिकृष्ण पटेल पिता श्री हीरालाल पटेल आयु लगभग 33 वर्ष व्यवसाय- शासकीय सेवा वर्तमान में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला अंबिकापुर में प्रयोगशाला परिचारक के रूप में पदस्थ है निवासी- ग्राम बयांग थाना कोतरा रोड, तहसील रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़
- 2- निजामुल अली पिता श्री शौकत अली आयु लगभग 42 वर्ष व्यवसाय शासकीय सेवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर पदस्थ निवासी- मोहदापारा रायपुर, अब्दुल हमीद वार्ड थाना गंज पारा रायपुर, तहसील रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3- श्रीमती आकांशा पाण्डेय पति श्री शेष नारायण मिश्रा आयु लगभग 35 वर्ष व्यवसाय शासकीय सेवा, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर पदस्थ निवासी- प्रगति चौक, सुंदर नगर, थाना आमा नाका, रायपुर, तहसील रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4- प्रदीप कुमार वर्मा पिता श्री श्याम लाल वर्मा, आयु लगभग 33 वर्ष, व्यवसाय: शासकीय सेवा, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर पदस्थ, निवासी: 21, मौल श्री, खारुन ग्रीन कॉलोनी, सी.जी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कुम्हारी थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्तागण

विरुद्ध

- 1- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, पुलिस थाना राखी, जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 2- निदेशक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरा पारा रायपुर पुलिस थाना टिकरा पारा, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़



- 3- राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की विभागीय पदोन्नति समिति, द्वारा: अध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर, अटल नगर पुलिस थाना राखी जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 4- श्री अशोक कुमार कुम्हार, व्यवसाय शासकीय सेवा, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरा पारा रायपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, पुलिस थाना टिकरा पारा, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 5- श्री रुस्तम सिंह राठिया, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरा पारा रायपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, पुलिस थाना टिकरा पारा, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 6- श्री सुनील कुमार, शासकीय सेवा, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, पुलिस थाना सिरगिट्टी, बिलासपुर जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
- 7- कु. उमा देवांगन, व्यवसाय, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरा पारा रायपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, पुलिस थाना टिकरा पारा, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 8- कु. सीमा साहू, व्यवसाय, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरा पारा रायपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, थाना टिकरा पारा, जिला रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 9- श्री सलीम कुजूर व्यवसाय शासकीय सेवा, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, पुलिस थाना जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, जिला: बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़
- 10- श्री हर्ष चन्द्र सिंह सिदार व्यवसाय शासकीय सेवा, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सरगुजा में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, थाना कोतवाली, सरगुजा, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, जिला: सरगुजा (अंबिकापुर), छत्तीसगढ़
- 11- कु. भोजलता टंडन व्यवसाय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरा पारा रायपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, थाना टिकरा पारा, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 12- कु. रुखमणी सिदार, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरा पारा रायपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, टिकरा पारा, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
- 13- श्रीमती शुशीला एक्का, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला टिकरा पारा रायपुर में प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ, टिकरा पारा, रायपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण



याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आशीष तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की ओर से : श्री राजीव भारत, शासकीय अधिवक्ता

अन्य उत्तरवादीगण की ओर से : हालांकि सूचना की तामीली हो चुकी है,
फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी)

सी ए वी आदेश

1. याचिकाकर्तागण ने यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए प्रस्तुत की है :-

“10.1 यह कि, माननीय न्यायालय न्याय के हित में प्रकरण से संबंधित संपूर्ण अभिलेख मंगवाने की कृपा करे।

10.2 यह कि, उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, समस्त कार्यवाहियों, एवं निष्कर्षों के आधार पर। उत्तरवादी क्रमांक 3 की अनुशंसाएँ, उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा दिनांक 13/03/2020 को अनुलग्नक पी-1 में दर्ज मूल्यांकन को न्याय के हित में कृपया अभिखण्डित किया जाए।

10.3 यह कि, आक्षेपित आदेश दिनांक 18/03/2020 अनुलग्नक पी-2 को कृपया अभिखण्डित किया जाए जिसमें उत्तरवादी 1 से 3 को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्तागण को प्रयोगशाला सहायक श्रेणी III के पद पर पदोन्नति दें और न्याय के हित में वाद-व्यय सहित उन्हें प्रयोगशाला सहायक श्रेणी III के पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त घोषित करें।

10.4 यह कि, कोई अन्य अनुतोष जो भी यह माननीय न्यायालय उचित और उपयुक्त समझे, कृपया न्याय के हित में उसे याचिकाकर्तागण के पक्ष में प्रदान करें।

एक संशोधन आवेदन के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने आगे निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है:-

10.5 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया दिनांक 11.03.2024 के आदेश को अभिखण्डित करते हुए उचित आदेश, निदेश पारित करने की कृपा करे और



उत्तरवादी राज्य को निर्देश दे कि वह उत्तरवादी क्रमांक 4 से 13 तक की पदोन्नति की तिथि से पहले याचिकाकर्तागण को वरिष्ठता प्रदान करे।

10.6 यह कि, यह माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी राज्य को निर्देशित करें कि वह तीन सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 13/01/2022 के प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा पर कार्रवाई करे।

2. याचिका में प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि, याचिकाकर्तागण को उत्तरवादी विभाग में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें निजी उत्तरवादी क्रमांक 4 से 13 से ऊपर रखा गया था। वर्ष 2020 में, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी पद) से प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (जिसे अब 'डीपीसी' कहा जाएगा) की बैठक बुलाई थी, जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 (जिसे अब 'पदोन्नति नियम, 2003' कहा जाएगा) के नियम 4(1) के अनुसार तृतीय श्रेणी का पद है। उत्तरवादी प्राधिकारियों ने प्रत्येक कर्मचारी की पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन श्रेणी के आधार पर अंक देने के मानदंड तय किए और इस प्रकार याचिकाकर्तागण की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन श्रेणी का आकलन करके उन्हें पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया और निजी उत्तरवादी क्रमांक 4 से 13 को, जो याचिकाकर्तागण से कनिष्ठ थे, केवल इसलिए पदोन्नति दे दी क्योंकि उक्त निजी उत्तरवादीगण की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन श्रेणी याचिकाकर्तागण से बेहतर थी। इसलिए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है। रिट याचिका प्रस्तुत करने के उपरांत, याचिकाकर्तागण ने रिट याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया ताकि यह तथ्य अभिलेख में लाया जा सके कि उत्तरवादी/राज्य ने प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) के पद से प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया की जाँच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। उक्त तीन सदस्यीय समिति ने अपने प्रतिवेदन (अनुलग्नक P-7) दिनांक 11-1-2022 के माध्यम से, उत्तरवादी/राज्य द्वारा अपनाई गई पदोन्नति की संपूर्ण प्रक्रिया का परीक्षण करने के पश्चात, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दिनांक 13-3-2020 को अपनाई गई पदोन्नति प्रक्रिया 'वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता' के अनुरूप नहीं थी। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 के नियम 17 में गोपनीय प्रतिवेदन के अंकों के आधार पर पदोन्नति देने का कोई उल्लेख नहीं है। समिति ने दिनांक 13-3-2020 को प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) से प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) और प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) से प्रयोगशाला तकनीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर की गई पदोन्नति पर पुनर्विचार करने की अनुशंसा की। इसके बाद, अनुलग्नक पी-7 दिनांक 11-3-2024 के अनुसार, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्तागण को दिनांक 11/03/2024 से पदोन्नति दे दी और इस प्रकार, याचिकाकर्ता उत्तरवादी



क्रमांक 4 से 13 तक कनिष्ठ बने रहे। इसलिए, याचिकाकर्तागण ने रिट याचिका में उनके द्वारा मांगी गई अनुतोष के लिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है जैसा कि प्रारंभिक कण्डिका में उल्लेख किया गया है।

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, इस याचिका में अन्तर्वलित विवादक याचिकाकर्तागण की प्रयोगशाला परिचारक, जो कि चतुर्थ श्रेणी का पद है, से प्रयोगशाला सहायक, जो कि तृतीय श्रेणी का पद है, के पद पर पदोन्नति का है। याचिकाकर्तागण की पदोन्नति पदोन्नति नियम, 2003 और नियम 4(1) के अनुसार शासित होती है, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति का आधार 'वरिष्ठता -सह- उपयुक्तता' है। आगे उनका तर्क है कि, वर्ष 2020 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में, याचिकाकर्तागण के कनिष्ठों को केवल इसलिए पदोन्नत किया गया क्योंकि, कुछ वर्षों से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों में, याचिकाकर्तागण की श्रेणी उनके कनिष्ठों से निम्नतर थी। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में निम्न श्रेणी को विचार में रखते हुए, याचिकाकर्तागण की वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया गया है, जो पदोन्नति नियम, 2003 के नियम 4(1) के विरुद्ध है। आगे उनका तर्क है कि, 'वरिष्ठता -सह- उपयुक्तता' पर नियम और पदोन्नति के मानदंड की व्याख्या केवल इस अर्थ में समझी जानी चाहिए कि, कर्मचारी को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए, बशर्ते कि उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात, जैसे कि संदिग्ध निष्ठा, विभागीय जाँच, दाण्डिक प्रकरण, शास्ति, हानिकारक सामग्री आदि न हो। इस संबंध में, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा पारित **राजेंद्र तिवारी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य (2017 एससीसी ऑनलाइन छ.1639)** प्रकरण का संदर्भ लिया, जिसे रिट अपील क्रमांक 247/2017 में विद्वान युगलपीठ ने यथावत रखा। विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि चूँकि याचिकाकर्तागण की पदोन्नति का मानदंड 'वरिष्ठता-सह- उपयुक्तता' था और उनकी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है जैसे संदिग्ध निष्ठा, विभागीय जाँच, दाण्डिक प्रकरण, शास्ति या हानिकारक सामग्री आदि, इसलिए केवल एसीआर में निम्न श्रेणी के कारण, याचिकाकर्तागण को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत करने के बाद, उत्तरवादी/राज्य ने प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) के पद से पदोन्नति की प्रक्रिया की जाँच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति ने अपने प्रतिवेदन (अनुलग्नक P-6 दिनांक 11-1-2022) के माध्यम से, इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि दिनांक 13-3-2020 को अपनाई गई पदोन्नति प्रक्रिया, नियम अर्थात् 'वरिष्ठता- सह-उपयुक्तता' के अनुरूप नहीं थी और समिति ने दिनांक 13-3-2020 को प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) से प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) और प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) से प्रयोगशाला तकनीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर दी गई पदोन्नति पर पुनर्विचार करने की अनुशंसा की। इसके बाद, दिनांक 11-3-2024 के अनुलग्नक P-6 के माध्यम से (अनुलग्नक P-6 को दो बार चिह्नित किया गया है), याचिकाकर्तागण को 'प्रयोगशाला परिचारक' के पद से 'प्रयोगशाला सहायक' के पद पर पदोन्नत किया गया है, किंतु यह पदोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान नहीं की गई है, इसलिए, उनके कनिष्ठ अभी भी



उनसे वरिष्ठ हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होने के अलावा, उनके भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, उन्होंने प्रार्थना की कि याचिका स्वीकार की जाए और याचिकाकर्तागण को जिस दिन उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, उसी दिन से वरिष्ठता और अन्य सभी लाभ भूतलक्षी प्रभाव से उन्हें पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. राज्य ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने, अपने जवाब का संदर्भ देते हुए, तर्क किया कि याचिकाकर्तागण की पदोन्नति पदोन्नति नियम, 2003 के नियम 4(1) द्वारा शासित होती है, जिसमें, चतुर्थ श्रेणी के पद से तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति का आधार, 'वरिष्ठता -सह- उपयुक्तता' प्रदान किया गया है। हालाँकि, याचिकाकर्तागण के कुछ कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था, लेकिन वे याचिकाकर्तागण से अधिक उपयुक्त पाए गए। उन्होंने आगे तर्क किया कि, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए डीपीसी द्वारा अपनाया गया मानदण्ड 15 अंक था और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, यह उनकी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर 10 अंक था। डीपीसी द्वारा निर्धारित बैचमार्क को संबंधित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक था, जिन पर विचार किया जा रहा था। हालाँकि, याचिकाकर्तागण विचारार्थ क्षेत्र में थे, किंतु उन्होंने पदोन्नति के लिए अनुशंसित किए जाने के लिए अपेक्षित बैचमार्क प्राप्त नहीं किया। डीपीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम बैचमार्क को कम नहीं किया जा सकता था और किसी भी उम्मीदवार, जिसके पास उक्त अपेक्षित बैचमार्क नहीं था, को पदोन्नति के लिए अनुशंसित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आगे तर्क किया कि, याचिकाकर्तागण व अन्य उपयुक्त उम्मीदवारों की पदोन्नति पर पदोन्नति नियम, 2003 के नियम 6(5) के अनुसार विचार किया गया था, जिसके अनुसार, कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन उसके पिछले 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर किया जाना है। याचिकाकर्तागण की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उनके कनिष्ठों की तुलना में कमतर पाई गई, इसलिए, याचिकाकर्तागण को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि, याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अन्य उत्तरवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, यद्यपि उन्हें सूचना की तामीली करा दी गई है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया है।

7. उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3/राज्य ने अनुलग्नक A-1 प्रस्तुत किया है, जो विभागीय पदोन्नति समिति के गठन से संबंधित आदेश है। जब राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से यह विशिष्ट प्रश्न पूछा



गया कि क्या डीपीसी के संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि डीपीसी ने पात्र अभ्यर्थियों की केवल एक पृष्ठ की नोटशीट और टेबुलेशन चार्ट तैयार किया था। जब पुनः यह विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या डीपीसी द्वारा कोई नोटशीट या आदेश तैयार किया गया था जिसमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि किस आधार पर याचिकाकर्तागण को पदोन्नति से वंचित किया गया, तो उन्होंने कथन किया कि ऐसा कोई दस्तावेज/बैंचमार्क सूची आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि डीपीसी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है।

8. वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्तागण को वर्ष 2014/2015 में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगशाला परिचारक के पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तरवादीगण ने प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) से प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) के पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर विचार करने हेतु डीपीसी बुलाई थी। राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक ए-1 के अनुसार, पदोन्नति के लिए विचाराधीन कुल 19 उम्मीदवार थे, जिनमें याचिकाकर्तागण और निजी उत्तरवादीगण शामिल थे, किंतु याचिकाकर्तागण को पदोन्नत नहीं किया गया और उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया। अनुलग्नक ए-1 के अनुसार, याचिकाकर्तागण को पिछले पाँच वर्षों की उनकी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन श्रेणी के आधार पर 'अनुयुक्त' के रूप में चिह्नित किया गया है।

9. याचिकाकर्तागण की पदोन्नति पदोन्नति नियम, 2003 के नियम 4(1) और नियम 6(5) द्वारा शासित होती है, जो यह प्रावधान करती है कि:

4. पदोन्नति हेतु आधार का अवधारण:- (1) चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में एवं द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता" के आधार पर की जाएगी।

6. वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति

xxx

xxx

xxx

(5) विभागीय पदोन्नति समिति, लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए उनके सेवा अभिलेख के आधार पर एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का निर्धारण करेगी, तथापि, उन प्रकरणों में, जहां अपेक्षित अर्हकारी सेवा 5 वर्ष से अधिक है विभागीय पदोन्नति



समिति, अपेक्षित अर्हकारी सेवा के बराबर वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के विशेष संदर्भ में अभिलेख देखेगी।

10. उपरोक्त नियमों के परिशीलन से यह सुस्पष्ट है कि चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए, "वरिष्ठता -सह- उपयुक्तता" आधार प्रदान किया गया है। नियम 6(5) के अनुसार भी, पदोन्नति के लिए कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, उनके सेवा अभिलेख और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में दिए गए विशेष संदर्भों, यदि कोई हों, पर विचार किया जाना चाहिए था।

11. वर्तमान प्रकरण में, दिनांक 1-4-2019 की वरिष्ठता सूची अनुलग्नक पी-4 के अनुसार, याचिकाकर्तागण को निजी उत्तरवादीगण से वरिष्ठ दिखाया गया था। लेकिन उनकी वरिष्ठता पर विचार नहीं किया गया है और केवल पिछले 5 वर्षों की उनकी वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) पर ही विचार किया गया है, जो उनकी पदोन्नति से संबंधित उपरोक्त नियमों के विपरीत है। 'वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता' मानदंड स्पष्ट रूप से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति का प्रावधान करता है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि, जब याचिकाकर्तागण और निजी उत्तरवादीगण के प्रकरण पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था, तो डीपीसी ने एक मानदंड निर्धारित किया था जो योग्यता के न्यूनतम बेंचमार्क के निर्धारण के बराबर था, वह भी, केवल एसीआर श्रेणियों पर प्राप्त अंकों के आधार पर, पदोन्नति नियम, 2003 के नियम 4(1) के प्रावधान के आधार पर वरिष्ठता को अपास्त करते हुए।

12. अतः, अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्तागण और निजी उत्तरवादीगण को 'वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता' के मानदंड पर पदोन्नति के लिए विचार करते समय, उत्तरवादीगण को केवल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन श्रेणियों पर प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता का न्यूनतम बेंचमार्क निर्धारित करने का औचित्य था।

13. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **राजेंद्र तिवारी** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में इसी प्रकार के विवादक पर विचार किया था तथा कण्डिका 14, 15, 16 व 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:-

"14. सेवा न्यायशास्त्र में, पदोन्नति के लिए ज्ञात मानदंड चयन आधारित मानदंड हैं पूर्णतः योग्यता के आधार पर, योग्यता-सह-वरिष्ठता, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति। पदोन्नति एक प्रतिफल है और जब भी पदोन्नति दी जाती है, तो किसी न किसी प्रकार के मानदंड तय करने की आवश्यकता होती है। आमतौर



पर, निम्न श्रेणी पद पर पदोन्नति देते समय, तुलनात्मक योग्यता मानदंड का आश्रय नहीं लिया जाता है और उपयुक्तता के आधार पर, पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। जब उच्च पदों पर पदोन्नति की जाती है, तो योग्यता भूमिका निभाना शुरू कर देती है। यह तीन भागों में है – पहला, जहाँ यह पूरी तरह से चयन पर आधारित है और वरिष्ठता का कोई महत्व नहीं है। अन्य दो मानदंड योग्यता-सह-वरिष्ठता और वरिष्ठता-सह-योग्यता हैं। अधिकांश लोक सेवाओं में, निम्न श्रेणी पद पर पदोन्नति के प्रकरण में, उपयुक्तता के आधार पर, वरिष्ठता को आधार बनाया जाता है, उच्च पद पर पदोन्नति के प्रकरण में, उच्चतर कर्तव्यों और कार्यों को निभाते हुए, योग्यता एक प्रमुख भूमिका निभाती है। योग्यता-सह-वरिष्ठता और वरिष्ठता-सह-योग्यता और उसके भेद की सुप्रसिद्ध न्यायशास्त्रीय अवधारणा पर उच्चतम न्यायालय ने बी.वी. शिवैया के प्रकरण में अपने आधिकारिक न्यायिक निर्णयों में विचार किया था।

[(1998) 6 एससीसी 720], उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठता-सह-योग्यता की अवधारणा की निम्नलिखित रूप में जाँच की—

“17. पदोन्नत अधिकारियों की ओर से यह आग्रह किया गया कि वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, वरिष्ठता का अर्थ है सेवा की अवधि और उन अधिकारियों के बीच जो एक ही तिथि को नियुक्त हुए थे और जिनकी सेवा की अवधि समान है, वरिष्ठता का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है और पदोन्नति ऐसे अधिकारियों की योग्यता के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर की जानी चाहिए। हम इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि पदोन्नति के प्रयोजन के लिए वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत को लागू करते समय जिन कर्मचारियों पर विचार किया जाना आवश्यक है, उनकी पारस्परिक वरिष्ठता पर विचार किया जाना आवश्यक है। जो विचार के पात्र हैं। ऐसी वरिष्ठता सामान्यतः सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जाती है, किंतु एक ही तिथि को नियुक्त और समान सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के बीच, लेकिन एक ही तिथि को नियुक्त और समान सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के बीच, यह सामान्यतः नियुक्ति के लिए चयनित सूची में स्थान के आधार पर अवधारित की जाती है। वरिष्ठता का ऐसा निर्धारण कुछ अधिकार प्रदान करती है और वरिष्ठता-सह-योग्यता वरिष्ठता से उत्पन्न होने वाले ऐसे अधिकारों को प्रभावी बनाती है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि पदोन्नति के प्रकरण में





वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार की कोई भूमिका नहीं है, जहाँ पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारी एक ही तिथि को नियुक्त हुए हों और उनकी सेवा अवधि समान हो।

15. उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त आधिकारिक निर्णय का अनुपालन **हरगोविंद यादव विरुद्ध रीवा सीधी ग्रामीण बैंक** [(2006) 6 एससीसी 145], **राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव विरुद्ध संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** [(2010) 1 एससीसी 335], **हरियाणा राज्य भंडारण निगम विरुद्ध जगत राम व अन्य** [(2011) 3 एससीसी 422] और **प्रभु दयाल खंडेलवाल विरुद्ध अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग** [(2015) 14 एससीसी 427] के प्रकरणों में पश्चावर्ती निर्णयों में किया गया है।

16. उपरोक्त निर्णयों में वरिष्ठता-सह-योग्यता और योग्यता-सह-वरिष्ठता के मानदंडों के मध्य आवश्यक अंतर यह बताया गया है कि जहाँ पदोन्नति के प्रकरणों में योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर, योग्यता ही सर्वोपरि होती है, वहीं योग्यता-सह-वरिष्ठता के मानदंडों को लागू करने वाले पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार करते समय, योग्यता का एक न्यूनतम बेंचमार्क निर्धारित किया जाता है और सभी पात्र अधिकारी जो न्यूनतम योग्यता बेंचमार्क को पूरा करते हैं, उनकी परस्पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाते हैं। इसलिए, योग्यता के एक निश्चित न्यूनतम बेंचमार्क के निर्धारण में वरिष्ठता-सह-योग्यता मानदंड की विशेषता होती है क्योंकि ऐसे प्रकरण में, योग्यता एक भूमिका निभाती है। ऐसे प्रकरणों में, दो अधिकारियों की योग्यता के आधार पर कोई तुलना नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारी न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और योग्यता का न्यूनतम मानक नियम के तहत या डीपीसी द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो भले ही वरिष्ठ अधिकारी अधिक मेधावी और कुशल हो, पदोन्नति के प्रकरण में कनिष्ठ अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन योग्यता-सह-वरिष्ठता के प्रकरण में या पूरी तरह से चयन के आधार पर की गई पदोन्नति के प्रकरण में, तुलनात्मक योग्यता अभ्यास किया जाना आवश्यक है। ऐसे प्रकरणों में, अधिक मेधावी अधिकारी, कनिष्ठ होने के बावजूद, अपने वरिष्ठ से आगे निकल जाएगा और पदोन्नति प्राप्त करेगा।





17. उपर्युक्त सुस्थापित विधिक सिद्धांत से, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वरिष्ठता-सह-योग्यता के मानदंड के आधार पर पदोन्नति के प्रकरण में योग्यता का न्यूनतम बेंचमार्क लागू होगा। वरिष्ठता, जो योग्यता के अधीन है, उसकी तर्कसंगत, निष्पक्ष और तार्किक व्याख्या का अर्थ केवल यही होगा कि अधिकारी पदोन्नति के लिए तभी योग्य है जब उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात न हो। ऐसे प्रकरणों में, जहाँ सत्यनिष्ठा पर संदेह न हो, कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो, कोई विभागीय जाँच लंबित न हो, कोई दंड या अन्य किसी प्रकार की प्रतिकूल सामग्री न हो, अधिकारी को योग्य माना जाना चाहिए। पदोन्नति के लिए योग्य और पदोन्नति के लिए योग्य के बीच अंतर को रेखांकित किया जाना चाहिए। भले ही कोई अधिकारी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त न कर पाए, जिसका अर्थ है कि उसे उत्कृष्ट या बहुत अच्छा जैसी उच्च वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन श्रेणी प्राप्त हो, फिर भी वह योग्य हो सकता है, अर्थात् उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं है। इसलिए, योग्यता का पैमाना योग्यता के पैमाने से भिन्न है। किसी दिए गए प्रकरण में, विशेष रोजगार की आवश्यकता होने पर, नियोक्ता वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के पुरस्कार ग्रेड के साथ योग्यता का विशेष मानक निर्धारित कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक यह समझा जाना चाहिए कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं है और उसके पास योग्यता का कोई न्यूनतम मानक होना आवश्यक नहीं है। वर्तमान प्रकरण में, पदोन्नति राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों पर आधारित है, जिसका वैधानिक बल है। वर्तमान प्रकरण में लागू नियम के ऐतिहासिक विकास पर इस न्यायालय ने ध्यान दिया है कि पहले, पदोन्नति का मानदंड योग्यता पर आधारित था और बाद में, नियम में छूट दी गई जहाँ तक श्रेणी ॥ से श्रेणी ॥ के पद पर पदोन्नति का संबंध है, जबकि श्रेणी ॥ से श्रेणी ॥ के पद पर पदोन्नति के प्रकरण में पदोन्नति के मानदंड के रूप में योग्यता की आवश्यकता को यथावत रखा गया। इस पृष्ठभूमि में, वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के नियम और मानदंड की व्याख्या केवल इस अर्थ में समझी जानी चाहिए कि कर्मचारी को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए बशर्ते कि उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल मामला जैसे संदिग्ध निष्ठा, विभागीय जाँच, दण्डिक प्रकरण, दंड, हानिकारक सामग्री आदि न हो।





14. इस प्रकरण में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति ने पिछले 5 वर्षों की एसीआर (वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन) के आधार पर पदोन्नति के लिए कुछ बेंचमार्क निर्धारित किए थे, जिसका अर्थ है कि उन्होंने जो मानदंड अपनाया वह योग्यता-सह-वरिष्ठता था। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनाई गई उक्त प्रक्रिया, पदोन्नति नियम, 2003 के नियम 4(1) के प्रावधानों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्तागण द्वारा दिनांक 13-3-2020 के पदोन्नति आदेश के पुनर्विलोकन हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर के निदेशक द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तीन सदस्यीय समिति ने इस विवादक का परीक्षण किया और दिनांक 11-1-2022 को निदेशक को निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जो निम्नानुसार हैं:-

"निष्कर्ष

दिनांक 13.03.2020 की पदोन्नति प्रक्रिया का अवलोकन पर यह पाया गया कि गोपनीय प्रतिवेदनों के श्रेणियों पर प्राप्त अंकों के आधार पर प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) से प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) पर तथा प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) से प्रयोगशाला तकनीशियन (तृतीय श्रेणी) पर पदोन्नति हेतु विगत पाँच वर्षों के गोपनीय, प्रतिवेदनों के श्रेणियों पर प्रदत्त अंकों का योग करते हुए पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए संवर्गवार सामान्य एवं अ.पि.वर्ग हेतु न्यूनतम 15 अंक तथा अ.जा. एवं अ.ज.जा. हेतु न्यूनतम 10 अंक प्रदाय करते हुए तदनुसार कर्मचारियों को उपयुक्त/अनुपयुक्त कर पदोन्नति हेतु अनुशंसा किया जाना पाया गया, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियम-4 (1) अनुसार "चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी (प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) से प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी)) तथा तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी (प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) से प्रयोगशाला तकनीशियन (तृतीय श्रेणी)) के पदों पर पदोन्नति "वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के अनुरूप नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2007 नियम 17 में गोपनीय प्रतिवेदन की श्रेणी पर प्राप्त अंकों के आधार पर पदोन्नति दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

अतः राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में दिनांक 13.03.2020 में प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) से प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) तथा प्रयोगशाला सहायक (तृतीय श्रेणी) से प्रयोगशाला तकनीशियन (तृतीय श्रेणी) के पद पर की गई पदोन्नति पर पुनर्विचार किया जाना प्रस्तावित है।

हस्ताक्षर

11.1.22

सदस्य

हस्ताक्षर

11.01.2022

सदस्य

हस्ताक्षर

11.01.2022

अध्यक्ष



वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी

बायोलॉजी शाखा

रसायन शाखा

भौतिकी शाखा

रा.न्या.वि.प्र., रायपुर (छ.ग.)

रा.न्या.वि.प्र., रायपुर (छ.ग.)

रा.न्या.वि.प्र., रायपुर (छ.ग.)"

15. इस प्रकार, इस न्यायालय के सुविचारित अभिमत में, माननीय उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में पारित न्याय दृष्टांत के आलोक में और तीन सदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 11-1-2022, को प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करते हुए, उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा 13-3-2020 को आयोजित डीपीसी में केवल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की श्रेणी पर प्राप्त अंको के आधार याचिकाकर्तागण को पदोन्नति से वंचित करना न्यायोचित नहीं था, क्योंकि यह पदोन्नति नियम, 2003 के नियम 4(1) और नियम 6(5) के प्रावधानों के विरुद्ध है।

16. अतः, उपरोक्त कारणों से, अनुलग्नक पी-1 दिनांक 13-3-2020 जिसमें याचिकाकर्तागण को अनुयुक्त पाया गया है और उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा दिनांक 18-3-2020 को जारी अनुलग्नक पी-2 जिसमें याचिकाकर्तागण को पदोन्नति प्रदान न करने का आरोप लगाया गया है, को अपास्त/अभिखण्डित किया जाता है। चूँकि याचिकाकर्तागण को दिनांक 11-3-2024 के आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया है, किंतु उन्हें दिनांक 13-3-2020 को आयोजित डीपीसी में अवैध रूप से पदोन्नति से वंचित रखा गया है, अतः उत्तरवादी प्राधिकारी/राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में याचिकाकर्तागण की पदोन्नति के प्रकरण पर पुनर्विचार करने के लिए 'वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता' के मानदंड को सख्ती से लागू करते हुए दिनांक 13-3-2020 को पुनर्विलोकन डीपीसी आयोजित करे। यदि इस प्रकार विचार करने पर, याचिकाकर्ता अन्य सभी बातों के साथ, जैसे कि निष्ठा, किसी शास्ति आदेश, विभागीय जाँच या किसी दाण्डिक प्रकरण के अधीन, उपयुक्त पाए जाते हैं, तो याचिकाकर्तागण उसी तिथि से जिस तिथि से उनके कनिष्ठों, अर्थात् निजी उत्तरवादीगण को प्रयोगशाला सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था, सभी परिणामी लाभों के साथ, दिनांक 13-3-2020 को पारस्परिक वरिष्ठता बनाए रखते हुए 'प्रयोगशाला सहायक' के रूप में पदोन्नति के हकदार होंगे। उपरोक्त प्रक्रिया इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त/प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाए। तदनुसार, याचिका उपरोक्त दर्शित सीमा तक स्वीकार की जाती है।

17. रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

18. लंबित अन्तर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी निराकरण किया जाता है।



सही/ -
(नरेश कुमार चंद्रवंशी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

